

क्रमांक: प. 1 (12) वन/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

जयपुर, दिनांक: 05 MAY 2022

**विषय**—Diversion of 0.4095 ha. forest land in favour of Block Development Office for Construction of Gravel Road from Approach Road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at Village-Kishorpura, Tehsil-Udaipurwati ,District -Jhunjhunu (Rajasthan) (FPRJ/ROAD 148099/2021)

**संदर्भ**—आपका पत्रांक एफ 14 (504/43)2021/एफसीए/प्रमुवस/09 दिनांक 06.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Block Development Officer, Block Development Office, Udaipurwati, District- Jhunjhunu, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 के अन्तर्गत ग्राम किशोरपुरा से ढाणी घाटीपुरा KM 0/00 to 0/950, ग्रेवल सड़क के निर्माण हेतु 0.4095 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4095 ha. forest land in favour of Block Development Office for Construction of Gravel Road from Approach Road Kishorpura to Dhani Ghatipura KM 0/00 to 0/950, at Village-Kishorpura, Tehsil-Udaipurwati ,District - Jhunjhunu, Rajasthan की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियाँ एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जाये। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई. ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी परिचामी भवन, सचिवालय, राजस्थान जयपुर, दूरभाष संख्या- 0141-2227762

Mail ID [ads\\_forest@rajasthan.gov.in](mailto:ads_forest@rajasthan.gov.in)

Important Announcements / IT : [www.forest.gov.in](http://www.forest.gov.in) Documents E&B&R&R



घर-घर  
औषधि योजना

**15**   
YEARS OF  
CELEBRATING  
THE MARATHA

निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पीछारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के बेवार्डरल OSMFWP द्वारा सुनिश्चित—चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई—चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक रवीकृति की अनुकालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) भेजित की जाए. तदोपरान्त विधिवत रवीकृति पर रिचार्ज किया जायेगा।

12. प्रयोक्ता अभिकर्ण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि राक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकर्ण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से गाननीयी ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.12.2012 को पारित निर्णय की पाठना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजूर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय,

(बी. प्रवीण)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर, बीकानेर।
6. उप वन संरक्षक, झुंझुनू।
7. Block Development Officer, Block Development Office, Udaipurwati, District-Jhunjhunu.
8. रक्षित प्रभावली।

( लखन सिंह )  
विशेषाधिकारी